



5821

दूरभाष - 2286709
2286710

नव चंतगा कंप्ल., 10 अशोक नगर, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पंक्रांत : ५८८० / ०५/७६ / एक/ २०१५-१६
सेवा में,

दिनांक : २२ मार्च २०१६

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभियान
जनपद-बहराइच।

विषय : वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में सूडा द्वारा आपके जनपद (झुड़ा) को अत्यसंख्यक वाहूल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में रखीकृत परियोजनाओं की घनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक वाहूल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-३७/८३) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार घनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

घनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	घनराशि
इलाहाबाद बैंक	20272126820	IFSC Code ALLA 0210238	76.805
(घनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अत्यसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किसी की घनराशि का प्रेषण
1	बहराइच	मलिन वस्ती-८३ बजट	न०पा०परि० बहराइच	मो० चॉदमारी नई बस्ती में राममिलन के मकान से जानकी प्रसादए सन्तोष आदि के मकान तक एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	4.668
2	बहराइच	मलिन वस्ती-८३ बजट	न०पा०परि० बहराइच	मो० चॉदमारी नई बस्ती में नन्के के मकान से हरशिफ की दुकान तक एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.546
3	बहराइच	मलिन वस्ती-८३ बजट	न०पा०परि० बहराइच	मो० चॉदमारी नई बस्ती में रामप्रसाद के मकान से विजय वर्मा कोयली मंशाराम छोटे आदि के मकान तक एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.560
4	बहराइच	मलिन वस्ती-८३ बजट	न०पा०परि० बहराइच	मो० चॉदमारी नई बस्ती में रामसुन्दर के मकान से श्याम सुन्दरए जितेन्द्र सोनू आदि के मकान तक एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.437
5	बहराइच	मलिन वस्ती-८३ बजट	न०पा०परि० बहराइच	मो० चॉदमारी नई बस्ती में हरशिफ की दुकान से नवोदय स्कूल होते हुये रामसुन्दर के मकान तक एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.849
6	बहराइच	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०प० जरवल	मो० मासुक नगर में जगीर अहमद के मकान से कप्रियतान तक एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सेडल एवं नाली निर्माण कार्य।	6.384
7	बहराइच	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०प० जरवल	मो० मासुक नगर में मतीन के मकान से प्रा० पाठशाला होते हुये अययूव के प्लाट तक इण्टरलाकिंग सेडल एवं नाली निर्माण कार्य।	12.184



५८२२

दूरभाष- 2286709

2286710

नव बताना कल्प 10 अशोक मार्ग, तलाशी 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र. सं	जनपद का नाम	अत्यसंख्यक/मालिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किसा की धनराशि का प्रेषण
8	बहराइच	अत्यसंख्यक-37 बजट	न0प० जरवल	मो० तकिया में मुख्तार किराना वाले के मकान से वरकत के मकान तक एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	5.476
9	बहराइच	अत्यसंख्यक-37 बजट	न0पा०प० बहराइच	मो० मदरसा टोला में वाहिद खाँ के मकान रो सलीम आदि के मकान तक एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.961
10	बहराइच	अत्यसंख्यक-37 बजट	न0पा०प० बहराइच	मो० अहमदशाहनगर में रमजान अली हाशमी के मकान रो हाजी कमरुद्दीन, वहेलिया के कविरतान तक एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं रिटर्निंग वाल का निर्माण कार्य।	6.740
	योग				76.805

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अत्यरिक्त वाहुल्य वरितियों तथा मालिन वरितियों में री०री० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये—

- 1— उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक वाहुल्य वरितियों तथा मालिन वरितियों में री०री० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से सम्बन्धित पत्रावली में रखौदा देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर राज्यम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4— अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्राव से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई हे तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शारकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य-राजकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय वाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय विलीय डस्टपुस्तिका के सुरागत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य राम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7— परिसम्पत्तियों के सूजन उपरान्त समय से उच्च सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई वाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सूजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रगाठन पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवन्धों के अनुसार निर्दित मद में व्यय की जायेगी, एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्तोत्र पर कठीती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।



582/3

मुख्यमन्त्री— 2286709
2286710

नव चंद्रगढ़ कंपनी, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 220001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवहर्तन अनुमत्य न होगा, शारान द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के काग में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुकूल सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यवहार की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

मंत्री,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
- अपर निदेशक, सूडा।।
- अधिकारी अभियन्ता सूडा
- कम्युटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।।